संख्या-33/2016/1026/38-4-16-36(विविध)/2013-टी0सी0

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 24अगस्त,2016**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की स्थापना से सम्बन्धित भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-26,83,06,826.00 को पी0एल0ए0 के खाते से आहरित/समायोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-64/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2016-17, दिनांक-05 जुलाई,2016 एवं पत्र संख्या-263/सम्प्रेक्षा/2016, दिनांक 03 अगस्त, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्रों में यह अवगत कराया गया है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की आपूर्ति एवं स्थापना के सम्बन्ध में उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यू0पी0 नेडा) उ0 प्र0 को अग्रिम के रूप में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-12/2016/378/38-4-16-36(विविध)/2013-टी0सी0 दिनांक 31 मार्च,2016 द्वारा धनराशि रू0-26,83,06,826.00 (रूपये छब्बीस करोड़ तिरासी लाख छः हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) स्वीकृत की गयी, परन्तु दिनांक 31 मार्च,2016 तिथि पूर्व में ही व्यतीत हो जाने के कारण पी0एल0ए0 में जमा उक्त स्वीकृत धनराशि का वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरण किया जाना संभव नहीं हुआ, अतः उक्त धनराशि की मांग की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-12/2016/378/38-4-16-36(विविध)/2013-टी0सी0 दिनांक 31 मार्च,2016 को निरस्त करते हुये मुझे कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित आवासों में सोलर पावर पैक (एल0ई0डी0 लाईटस तथा डी0सी0 सीलिंग फैन आदि) की आपूर्ति एवं स्थापना से सम्बन्धित भुगतान की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष अग्रिम धनराशि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पी0एल0ए0 में उपलब्ध अवशेष धनराशि रू0-26,83,06,826.00 (रूपये छब्बीस करोड़ तिरासी लाख छः हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) को उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यू0पी0 नेडा) उ0 प्र0 को अग्रिम के रूप में भुगतान हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तो के साथ उक्त धनराशि रू0-26,83,06,826.00 (रूपये छब्बीस करोड़ तिरासी लाख छः हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) पी0एल0ए0 से आहरित/समायोजित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त धनराशि रू0 26,83,06,826.00 को कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो अधिकतम ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) क्रय किए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(5) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च,2017 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(6) आहरित की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पी0एल0ए0 से आहरित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद/योजना में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की वास्तविक व्यय की आवश्यकता होगी।

(9)समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(10)पी0एल0ए0 में आहरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत योजना हेतु निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किा जायेगा।

(11)आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक सीधे जिम्मेदार होंगे।

(12)इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(13)वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पंजी संख्या-यू0ओ-ई-2-811/दस-2016] दिनांक-24 अगस्त, 2016 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-33/2016/1026(1)/38-4-2016, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
4- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
5- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लख्नऊ ।
6- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
12- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
पी0 एन0 त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।